फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री नारायण बनाम श्री शंकर

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 17/23 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 14.02.2023 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1698 किता 1 रकबा 0.3723 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करें।** विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 09.03.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested

9/3/23 आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....25/4/23.........को पेश हो।

20/4/23 पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प मावली
दिनांक 9/5/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

9/5/23 पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक- 18/7/23 को पेश हों।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

18/7/23 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/10/23 को पेश हो।

SDO मावली

23/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पां उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5/2/24 ....को पेश हो

05/02/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता [illegible] को आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो [illegible] उपस्थित है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी अनुपस्थित [illegible] किया जाता है। प्रार्थना पत्र अदम हाजरी [illegible] आती है। पत्रावली पूर्व में जारी अन्तरिम [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested